[श्री संतोष कुमार गंगवार]

लेकर जाता है, तो उनकी जिम्मेदारी की चिंता वह ठेकेदार करता है और उनके लिए सारी व्यवस्था करता है। यदि मजदूर individual जाते हैं, तो उसकी जानकारी हमारे पास नहीं आती है। मैं इतना कह सकता हूं कि हम जो नया कोड लेकर आ रहे हैं, ओएसएच कोड, उसमें ये सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। हम आपके माध्यम से माननीय सदन से आग्रह करेंगे कि इस समय ओएसएच कोड Standing Committee के पास चर्चा के लिए गया है, यदि आप इसमें संबंधित अपने सुझाव देंगे, तो उनका समाधान भी होगा और शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा।

MR. CHAIRMAN: Next Question.

नक्सलवाद की समस्या के कारण का अध्ययन करना

*171. **श्री विशम्भर प्रसाद निषाद** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में नक्सल प्रभावित जिलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नक्सलवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किए जाने संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में नक्सली गतिविधियों का जिला-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने नक्सवाद की समस्या के कारण का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में वस्तुस्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ङ)

(i) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य सरकारों के विषय हैं। तथापि, भारत सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के प्रयासों में सहयोग कर रही है।

(ii) पूर्ववर्ती योजना आयोग द्वारा "असंतोष, अशांति और उग्रवाद के कारणों से निपटने के लिए विकास मुद्दे" पर गठित एक विशेषज्ञ समूह ने देश में वामपंथी उग्रवाद की समस्या के मूल कारणों पर एक अध्ययन किया था और अप्रैल, 2008 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तथा इसके लिए भूमि, विस्थापन, जबरन हटाए जाने, गरीबीग्रस्त आजीविका, सामाजिक उत्पीड़न, अभिशासन का अभाव और घटिया पुलिस व्यवस्था इत्यादि की कारणों के रूप में पहचान की गई थी। इस विशेषज्ञ समूह ने वामपंथी उग्रवाद की समस्या के समाधान के लिए

(i) रक्षात्मक विधानों के प्रभावी कार्यान्वयन (ii) भूमि संबंधी उपायों (iii) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना (iv) जीवनयापन सुरक्षा (v) सार्वभौमिक मानकीकृत मूलभूत सामाजिक सेवाओं (vi) आयोजना प्रणाली के सुदृढ़ीकरण की अनुशंसा की थी।

(iii) वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या के समग्र समाधान के लिए, भारत सरकार ने स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करने के पश्चात् वर्ष 2015 में एक राष्ट्रीय नीति और कार्य योजना को अनुमोदित किया है। इसके अंतर्गत सुरक्षा संबंधी उपायों, विकासात्मक पहलों, स्थानीय समुदायों के अधिकारों एवं हकदारियों को सुनिश्चित करने आदि को शामिल करते हुए एक बहु-आयामी कार्यनीति की परिकल्पना की गई है।

(iv) नीति के दृढ़तापूर्वक कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप हिंसा में निरन्तर गिरावट आई है और इसके भौगोलिक फैलाव में कमी आई है। केवल 10 जिलों में ही दो तिहाई वामपंथी उग्रवाद की हिंसा होती हैं। मई 2014 से अप्रैल 2019 की अवधि के दौरान वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की घटनाएं पूर्व 5 वर्षों की अवधि की तुलना में 43 प्रतिशत कम रही हैं। कमी का यह रूझान वर्ष 2019 में जारी रहा है। वर्ष 2018 में, 60 जिलों में वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा होने की सूचना दी गई है। तथापि, वामपंथी उग्रवाद-रोधी ऑपरेशनों पर राज्यों द्वारा किए गए खर्च की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से 11 राज्यों के 90 जिलों को सुरक्षा संबंधी व्यय (एसआरई)/एलडब्ल्यूई योजना के तहत शामिल किया गया है। इन 90 जिलों की राज्य-वार सूची अनुलग्नक-I पर संलग्न है (नीचे **देखिए**)। पिछले तीन वर्षों के दौरान देश में एलडब्ल्यूई काडरों द्वारा किये गये आत्मसमर्पण के राज्य-वार ब्यौरे तथा एलडब्ल्यूई घटनाओं के राज्य-वार ब्यौरा अनुलग्नक-II पर दिये गये हैं।

अनुलग्नक-I

एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों के लिए एसआरई स्कीम के तहत शामिल 90 जिलों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जिलों की संख्या	जिलों के नाम
1	2	3	4
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	पूर्वी गोदावरी, गुंटूर, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, पश्चिम गोदावरी
2.	बिहार	16	अरवल, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, गया, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, रोहतास, वैशाली, पश्चिम चंपारण
3.	छत्तीसगढ़	14	बालोद, बलरामपुर, बस्तर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, धमतरी, गरियाबंद, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद, नारायणपुर, राजनंदगांव, सुकमा, कबीरधाम

1	2	3	4
4.	झारखंड़	19	बोकारो, चतरा, धनबाद, दुमका, पूर्वी सिंहभूम, गढ़वा, गिरिडीह, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरडगा, पलामू, रामगढ़, रांची, सिमडेगा, सरायकेला-खरसवां, पश्चिम सिंहभूम
5.	मध्य प्रदेश	2	बालाघाट, मंडला
6.	महाराष्ट्र	3	चंद्रपुर, गढ़चिरौली, गोंदिया
7.	ओडिशा	15	अंगुल, बारगढ़, बोलनगीर, बौध, देवगढ़, कालाहांडी, कंधमाल, कोरापुट, मलकानगिरी, नबरंगपुर, नयागढ़, नुआपाड़ा, रायगढ़, संभलपुर, सुंदरगढ़
8.	तेलंगाना	8	आदिलाबाद, भद्रादी-कोठागुदेम, जयशंकर-भूपालपल्ली, खम्मम, कोमारम-भीम, मंचेरियल, पेद्दापल्ले, वारंगल ग्रामीण
9.	उत्तर प्रदेश	3	चंदौली, मिर्जापुर और सोनभद्र
10.	पश्चिम बंगाल	1	झारग्राम
11.	केरल	3	मलप्पुरम, पलक्कड़, वायनाड
	कुल	90	

अनुलग्नक-II

(क) वर्ष 2016-2019 (15.11.2019 तक) के दौरान आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी

राज्य	2016	2017	2018	2019 (15.11.2019 तक)
1	2	3	4	5
आन्ध्र प्रदेश	46	156	162	64
बिहार	22	13	21	10
छत्तीसगढ़	1198	370	390	268
झारखंड	40	47	16	13
मध्य प्रदेश	0	0	0	0

1	2	3	4	5
महाराष्ट्र	54	21	14	26
ओडिशा	63	31	29	11
तेलंगाना	16	30	10	6
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	1	13	1	0
अन्य	2	4	1	0
कुल	1442	685	644	398

(ख) वर्ष 2016-19 (15.11.2019 तक) के दौरान वामपंथी उग्रवाद संबंधी हिंसा की राज्य-वार स्थिति

राज्य	2016	2017	2018	2019 (15.11.2019 तक)
	घटनाएं	घटनाएं	घटनाएं	घटनाएं
आन्ध्र प्रदेश	17	26	12	18
बिहार	129	99	59	53
छत्तीसगढ़	395	373	392	231
झारखंड	323	251	205	160
मध्य प्रदेश	12	3	4	4
महाराष्ट्र	73	69	75	59
ओडिशा	86	81	75	44
तेलंगाना	7	5	11	7
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0
पश्चिम बंगाल	0	0	0	0
अन्य	6	1	0	3
कुल	1048	908	833	579

Study on cause of Naxal problem

†*171. SHRI VISHAMBHAR PRASAD NISHAD: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the State-wise details of number of Naxalite affected districts in the country;

(b) the details of surrenders by Naxalites in the country during last three years, State-wise;

(c) the details of Naxalite activities in the country during last three years, district-wise and State-wise;

(d) whether Government has conducted any study to find out the cause of Naxal problem; and

(e) if so, the status thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI G. KISHAN REDDY) : (a) to (e) A Statement is laid on th Table of the House.

Statement

(a) to (e)

(i) As per Seventh Schedule of the Constitution of India, subjects of Police and Public Order are with the State Governments. However, the Government of India (Gol) has been supplementing the efforts of States affected by left wing extremism.

(ii) An Expert Group set up erstwhile Planning Commission on "Development Issues to deal with Causes of Discontent, Unrest and Extremism" had conducted a study on root causes of LWE problem in the country, and submitted its report in April, 2008, and identified causes as land, displacement, forced eviction, poor livelihood, social oppression, absence of governance and poor policing. The Expert Group recommended (i) effective implementation of protective legislations, (ii) land related measures, (iii) land acquisition, rehabilitation and resettlement, (iv) livelihood security; (v) universal standardized basic social services, (vi) strengthening of the planning system to address the LWE problem.

(iii) To address the Left Wing Extremism (LWE) holistically, Government of India has approved a National Policy and Action Plan in 2015 after consultation with stake holders. It envisages a multi-pronged strategy involving security

†Original notice of the question was received in Hindi.

related measures, development interventions, ensuring rights and entitlements of local communities etc.

(iv) The steadfast implementation of the policy has resulted in consistent decline in violence and shrinkage in geographical spread. Only 10 districts account for 2/3rd of LWE violence. The LWE related incidents of violence between May-2014 to April-2019 have been 43% lesser while compared with the preceding 5 years period. The decline trend continues in 2019. In the year 2018, LWE related violence has been reported in 60 districts. However 90 districts in 11 States are covered under Security Related Expenditure (SRE)/ LWE Scheme for the purpose of reimbursement of expenditure incurred by the States on counter LWE operations. The State-wise list of these 90 districts is given at Annexure (*See* below). The State-wise details of surrenders by LWE cadres and State-wise LWE related incidents in the country during last three years is given at Annexure-ll.

Annexure-I

List of 90 districts covered under the SRE Scheme for LWE affected States

Sl.No.	State	Number of Districts	Name of Districts
1	2	3	4
1.	Andhra Pradesh	6	East Godavari, Guntur, Srikakularn, Visakhapatnam, Vizianagaram, West Godavari
2.	Bihar	16	Arwal, Aurangabad, Banka, East Champaran, Gaya, Jamui, Jehanbad, Kaimur, Lakhisarai, Munger, Muzaffarpur, Nalanda, Nawada, Rohtas, Vaishali, West Champaran
3.	Chhattisgarh	14	Balod, Balrampur, Bastar, Bijapur, Dantewada, Dhamtari, Gariyaband, Kanker, Kondagaon, Mahasamund, Narayanpur, Rajnandgaon, Sukma, Kabirdham
4.	Jharkhand	19	Bokaro, Chatra, Dhanbad, Dumka, East Singhbhum, Garhwa, Giridih, Gumla, Hazaribagh, Khunti, Koderma, Latehar, Lohardaga, Palamu, Ramgarh, Ranchi, Simdega, Saraikela-Kharaswan, West Singhbhum

1	2	3	4
5.	Madhya Pradesh	2	Balaghat, Mandla
6.	Maharashtra	3	Chandrapur, Gadchiroii, Gondia
7.	Odisha	15	Angul, Bargarh, Bolangir, Boudh, Deogarh, Kalahandi, Kandhamal, Koraput, Malkangiri, Nabrangpur, Nayagarh, Nuapada, Rayagada, Sambhalpur, Sundargarh
8.	Telangana	8	Adilabad, Bhadradri-Kothagudem, Jayashankar-Bhupalpally, Khammam, Komaram-Bheem, Mancherial, Peddapalle, Warangal Rural
9.	Uttar Pradesh	3	Chandauli, Mirzapur and Sonebhadra
10.	West Bengal	1	Jhargram
11.	Kerala	3	Malappuram, Palakkad, Wayanad
	TOTAL	90	

Annexure-II

(A) LWEs surrendered since 2016-2019 (uo to 15.11.2019)

State	2016	2017	2018	2019 (upto 15.11.2019)
1	2	3	4	5
A.P.	46	156	162	64
Bihar	22	13	21	10
Chhattisgarh	1198	370	390	268
Jharkhand	40	47	16	13
M.P.	0	0	0	0
Maharashtra	54	21	14	26
Odisha	63	31	29	11
Telangana	16	30	10	6

1	2	3	4	5
U.P.	0	0	0	0
West Bengal	1	13	1	0
Other	2	4	1	0
Total	1442	685	644	398

(B) State-wise extent of LWE violence incidents during 2016-19 (upto 15.11.2019)

State	2016	2017	2018	2019 (upto 15.11.2019)
1	2	3	4	5
Andhra Pradesh	17	26	12	18
Bihar	129	99	59	53
Chhattisgarh	395	373	392	231
Jharkhand	323	251	205	160
M.P.	12	3	4	4
Maharashtra	73	69	75	59
Odisha	86	81	75	44
Telangana	7	5	11	7
Uttar Pradesh	0	0	0	0
West Bengal	0	0	0	0
Others	6	1	0	3
Total	1048	908	833	579

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : माननीय सभापति महोदय, मेरा क्वेश्चन नक्सल प्रभावित एरिया से है, उनको न्याय दिलाने के लिए है।

मान्यवर, हम देखते हैं कि जो भी घटनाएं होती हैं, वे जर, जोरू और जमीन से संबंधित होती हैं। आदिवासियों का जो जल, जंगल, जमीन का अधिकार है, जब उनमें वन माफिया...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सवाल पूछिए।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : महोदय, वन माफिया राजस्व विभाग से मिलकर उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। जैसे सोनभद्र की घटना हुई, अभी छत्तीसगढ़ की हाल ही में एक रिपोर्ट आई है।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No, please. You have to please go through your question and ask a supplementry question.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद: सभापति जी, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की एक रिपोर्ट आई है कि पुलिस ने तीन बच्चे... तेरह लोगों का मर्डर किया था। हम यह पूछना चाहते हैं कि क्या आप नक्सल प्रभावित जिलों में आदिवासियों को न्याय दिलाने हेतु फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना करेंगे, जिससे भ्रष्ट अधिकारियों और माफियाओं को दंड दिया जा सके?

श्री जी. किशन रेड्डी : सभापति जी, प्लानिंग कमीशन के द्वारा एक एक्सपर्ट ग्रुप का गठन किया गया था। उसके द्वारा naxalism का क्या कारण है, इस विषय पर अलग-अलग कार्यक्रम किए गए हैं। अभी माननीय सांसद ने भारत सरकार ने प्रश्न पूछा है, तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि हमने ट्रायबल्स को लैंड्स की लगभग 16 लाख टाइटिल डीड्स individually distribute की हैं, जिसमें लगभग 15 लाख लोगों को लाभ मिला है। ऐसे ही नक्सल प्रभावित इलाकों में जो लोग रहते हैं, हम उनके विकास के लिए भी अलग-अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हिंसा नहीं रहनी चाहिए, हिंसा के द्वारा कुछ पा नहीं सकते हैं, इसलिए भारत सरकार शांति के लिए हर कदम उठा रही है। क्योंकि यह स्टेट गवर्नमेंट का विषय है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट जितने भी कार्यक्रम करती है, हम उनके समर्थन में उनको सपोर्ट करते हैं। उसमें डेवलमेंट एक्टिविटीज़...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN : Now, the second supplementary.

श्री विशम्भर प्रसार निषाद : सभापति जी, मैंने फास्ट ट्रैक कोर्ट का जो प्रश्न पूछा है, मंत्री जी उसका उत्तर नहीं दे रहे हैं। वहां पर जो आदिवासी हैं, मैं उनके संदर्भ में आपको बताना चाहता हूं कि जब उनके पिता के सामने पुत्र की हत्या होती है, पति के सामने पत्नी का बलात्कार होता है, तब उग्रवाद पैदा होता है। हम जब मंत्री जी से फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात करते हैं, तो वे विकास की बात करते हैं।

मैं दूसरा क्वेशन पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह भाषण का सवाल नहीं है। Please. ...*(Interruptions)*... You asked a question. ...*(interruptions)*... I do not agree with these arguments and then using this forum to defend the Naxalites. You can raise question and get answar.

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सभापति जी, मैं सैकंड क्वेश्चन कर रहा हूं। आपने बताया है कि गत पांच वर्षों में 90 जिले नक्सल प्रभावित हुए हैं। मैं जानना चाहता हूं कि गत पांच वर्षों

में आपने केन्द्र और राज्य का मिलाकर वर्ष-वार कितना बजट उनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए दिया है? आपने कितना बजट सड़क, बिजली, पानी, चिकित्सा, रोजगार के लिए दिया है और कितना बजट पुलिस प्रोटेक्शन के लिए, वहां की रक्षा के लिए दिया है? आप इन दोनों का अंतर बताइए।

श्री सभापति : मंत्री जी, इसका उत्तर दीजिए।

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, सरकार देश भर में स्पेशन सेंट्रल असिस्टेंस के द्वारा अलग-अलग कार्यक्रम कर रही है। हम माननीय सदस्य को बताना चाहते हैं कि रोड रिक्वायरमेंट प्लान के द्वारा 5,422 किलोमीटर का हाइवेज़ रोड्स का टारगेट रखा गया था, जिसमें से 4,833 किलोमीटर रोड बन चुका है। इसके साथ-साथ सैकंड प्रोजेक्ट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के रूरल डेवलमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा 5,065 किलोमीटर रोड का टारगेट रखा गया था, जिस पर अभी काम शुरू हो गया है और लगभग 1,082 किलोमीटर रूरल रोड्स का काम कम्पलीट हो गया है।

इसके साथ-साथ हम ट्रायबल एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में विकास के लिए जो मोबाइल टॉवर्स भी डालना चाहते हैं, उसमें लगभग 4,072 टॉवर्स डालने का निर्णय लिया गया है। उनमें से 2,335 towers पूरे हो गए हैं। Tribal areas के लिए, ट्राइबल लोगों के विकास के लिए 47 ITIs sanction किए गए हैं, जिसमें से 26 ITIs अभी काम कर रही हैं। साथ ही 68 Skill Development Centres senction किए गए हैं, उनमें से 55 सेंटर्स...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: No commentary. मंत्री जी, वहां मत देखिए।

श्री जी. किशन रेड्डी : उनमें से 55 centres complete हो गए हैं। Tribal areas में education के लिए 7 केन्द्रीय विद्यालय sanction किए गए हैं और सातों केन्द्रीय विद्यालय प्रारम्भ हुए हैं; 6 जवाहर नवोदय विद्यालय sanction किए गए हैं और उन 6 में काम शुरू हो गया है। इसके साथ-साथ most Left-Wing Extremism affected areas में हम स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिल कर यह काम कर रहे हैं। Fast Track Court State Government का विषय है। इसमें अलग-अलग State Governments आती हैं, इसके लिए काम करना है। इसके साथ-साथ tribal लोगों के लिए 879 नए banks की शुरुआत की गई है। इसके साथ-साथ tribals के लिए 869 नए ATMs की शुरुआत की गई है। साथ ही पिछले 4 सालों में मोदी सरकार के आने के बाद 7,456 banks भी शुरू किए गए हैं और tribal areas में 1,768 नए post offices भी शुरू किए गए हैं।...**(व्यवधान)**...

MR. CHAIRMAN: Shri Prasanna Acharya. ...*(Interruptions)*... आप सवाल भी इतना विस्तृत करके emotion को जोड़ कर, यह-यह करके इस तरह से पांच बिन्दु पूछेंगे, तो जवाब भी ऐसा ही होगा।...**(व्यवधान)**... इसलिए भाषण भी ऐसा नहीं होना चाहिए और जवाब भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप भाषण देंगे, फिर आप बोलेंगे कि वे एक मिनट में जवाब दे दें, ऐसा कैसे सम्भव होता है।

श्री अमित शाह : सभापति महोदय, मेरा आपसे एक निवेदन है कि इन्होंने विकास के बारे में पूछा, तो उन्होंने विकास के बारे जवाब दिया। अब वे जो चाहते हैं, वह जवाब नहीं मिल सकता है। सरकार ने जो किया है, वह जवाब दिया गया है। आपने पूछा कि शिक्षा के लिए क्या किया, infrastructure के लिए क्या किया, पानी के लिए क्या किया, दूरसंचार के लिए क्या किया, तो सारी चीजों का जवाब दिया गया है। मगर आपको ऐसा जवाब मिले और पसंद नहीं आए, तो आप जवाब स्वीकार नहीं करेंगे, यह मानसिकता भी ठीक नहीं है।

MR. CHAIRMAN: Now, Shri Prasanna Acharya. ...*(Interruptions)*... Ram Gopal*ji*, please. ...*(Interruptions)*... मैंने आपको नहीं बुलाया।...(**व्यवधान**)... This will not go on record. ...*(Interruptions)*... This will not go on record. ...*(Interruptions)*... Shri Prasanna Acharya. ...*(Interruptions)*...

प्रो. राम गोपाल यादव : *

श्री अमित शाह : *

श्री सभापति : सवाल और जवाब, दोनों रिकॉर्ड पर नहीं जाएंगे। मैंने यह सवाल allow नहीं किया। ...(**व्यवधान**)... मंत्री जी, कृपया इसको ध्यान में लीजिए।...(**व्यवधान**)... मेम्बर ऐसा सोचेंगे कि I am satisfied with the Minister's reply, मैं ऐसा कभी भी नहीं कह सकता हूं।...(**व्यवधान**)... श्री प्रसन्न आचार्य।...(**व्यवधान**)...

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद : सर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया, इसलिए मैं सदन से walk out करता हूं।

(इस समय माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

श्री सभापति : ठीक है, आप walk out करिए, यह आपका अधिकार है। Now, Shri Prasanna Acharya.

SHRI PRASANNA ACHARYA: Sir, I would like to know from the hon. Minister as to how many people involved in the Naxal movement have so far surrendered befor the authorities and, out of those surrendered, how many of them have again gone back to the movement and what the reasons for their going back to the movement are. Under the State's Security Related Expenditure Scheme, what is the amount that is due to the State Governments, which has not been paid and reimbursed by the Central Gorvernment? This I would like to know from the hon. Minister.

श्री जी. किशन रेड्डी : सभापति जी, 2016 में 1,442 Left-wing extremism के Naxalites surrender हुए हैं, 2017 में 685 लोग surrender हुए हैं, 2018 में 644 लोग surrender हुए हैं और वर्तमान साल में 390 लोग surrender हुए हैं। Violence भी 2016 में 1,048 था,...(**व्यवधान**)...

* Not Recorded

श्री प्रसन्न आचार्य : वापस कितने गए हैं?

श्री जी. किशन रेड्डी : मेरे पास ऐसी details नहीं हैं। मैं आपको जरूर दूंगा। जो लोग surrender करने के बाद फिर इसमें वापस गए हैं, इसकी जानकारी स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती है। मैं आपको इसका जवाब भिजवा दूंगा। 2019 में incidents कम होकर 579 हो गए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक बजट में 21,201 लाख रुपए Naxal affected areas में special development के नाते Central Government ने State Governments को assistance दी है।

श्री राकेश सिन्हा : सभापति महोदय, हिंसा पर आधारित जो नक्सलवादी गतिविधियां हैं, उनके कारण कई प्रकार के विकास के कामों में curb हुआ है या कमी आई है। सर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मेरा सवाल है कि जो अर्बन नक्सल्स हैं, जो लोग छद्म वेष में शहरों में अच्छे संस्थानों में बैठे हुए हैं, वे लोकतंत्र के नाम पर...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : अर्बन नक्सलाइट्स के बारे में तो ऑलरेडी क्वेश्चन हो गया है। Urban Naxalites surrendered, and then, for rehabilitation, conduct a study.

श्री राकेश सिन्हा : अर्बन नक्सलाइट्स के ऊपर सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री जी. किशन रेड्डी : सर, वैसे तो स्टेट गवर्नमेंट अर्बन नक्सलाइट्स के विषय पर काम कर रही है। उनके विकास के लिए हमारी तरफ से अलग से कोई कार्यक्रम नहीं है। अर्बन नक्सलाइट्स के विषय पर स्टेट गवर्नमेंट ही पूरा काम कर रही है।

SHRI RIPUN BORA: Sir, I want to know from the hon. Minister whether the Government has taken rehabilitation and resettlement as a measure for controlling the naxalites and other extremists also. My question is, 'why is there so much inordinate delay in givin rehabilitation and resettlement to the naxalites?' What happens as a result of this inordinate delay is that those who are willing to come back, they are stopped. So, will the Government expedite the rehabilitation and resettlement process?

श्री जी. किशन रेड्डी : सभापति जी, इस विषय पर लगातार स्टेट गवर्नमेंट से सेंट्रल गवर्नमेंट की बातचीत होती रहती है, मीटिंग्स होती रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के गृह मंत्रालय के ऑफिसर्स स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से मिल कर, ऐसे जो भी लोग सरेंडर करते हैं, उनके लिए विकास के कार्यक्रम, employment के कार्यक्रम को review करते रहते हैं। अभी-अभी आदरणीय होम मिनिस्टर ने सभी नक्सलाइट्स प्रभावित स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से इस विषय पर चर्चा की है। उनके resettlement का पूरा purview स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ही monitor किया जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादातर विकास के कार्यक्रमों की और ही ध्यान देती है। नक्सलाइट्स प्रभावित एरियाज़ में Law and Order के लिए क्या काम करना चाहिए, इस विषय पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट काम करती है।

MR. CHAIRMAN: Nex Question.